भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

नेवा: डिजिटल विधानमंडलों के लिए

परियोजना दिशा-निर्देश

मार्च, 2020

विषय-वस्तु

भाग I – परियोजना के उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत 4

1. प्रस्तावना... 4

2. मिशन 5

3. परियोजना के उद्देश्य 5

भाग II – परियोजना की व्याप्ति और कार्यान्वयन की रीति 6

4. परियोजना की व्याप्ति 6

4क. ई-विधान एमएमपी के अंतर्गत स्वचालन के क्षेत्र 7

5. विधानमंडल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन 8

6. परियोजना कार्यान्वयन 8

6.1 उन सदनों के लिए जिनके यहां कुछ एप्लिकेशन हैं: 9

6.2 नेवा मोबाइल ऐप: 9

7. निधियां (किश्तें) जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें 9

8. राज्य स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा, परियोजना निरूपण और एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति:…. 10

8.1 भूमिकाएं और कार्य : 10

8.2 संरचना : 10

9. केंद्रीय स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन 11

10. राज्य सरकार को निधियों का जारी किया जाना 11

11. जनशक्ति परिनियोजन 11

12. निष्पादक प्राधिकारी 12

13. कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू)... 12

13.7 ई-शासन और सामान्य प्रयोजन हेतु उच्च स्तरीय सर्वोच्च समिति 13

13.8 क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण 14

13.8.1 क्षेत्रीय कार्यशालाएं 14

13.8 .2 क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण: 15

13.9 नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा सह ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना 15

13.10 दृश्य श्रव्य उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री 15

13.11 सीपीएमयू में कृत्रिम विधानसभा की स्थापना 16

13.12 ई-विधान हेतु हार्डवेयर, साफ्टवेयर और सेवाओं का प्रापण 16

13.13 लेखापरीक्षा 16

13.14 सावधि विधि खंड..... 16

13.15 कठिनाई को दूर करना 17

14. ई-विधान एमएमपी हेतु एनआईसी की भूमिका ... .17

15. ई-विधान एमएमपी हेतु एनआईसीएसआई की भूमिका 18

16. एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से खरीद एवं सेवाओं हेतु निधियन..... 18

भाग I - परियोजना के उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत

1. प्रस्तावना

1.1 **ई-विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ई-विधान एमएमपी के लिए नोडल विभाग है। ई-विधान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में कार्यान्वित किया जाना है।**

1.2 **"ई-विधान - राज्य विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना" कम्प्यूटरीकरण के संभावित क्षेत्रों को रेखांकित करता है जैसे सदन के पटल पर सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख कर राज्य विधानमंडल के कार्यचालन को कागज रहित बनाना, मानक राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन, राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए ई-कनेक्टिविटी, नेवा परिनियोजन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क/राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनआईसीनेट/एनकेएन) से कनेक्टिविटी।**

1.3 **ई-विधान एमएमपी का उद्देश्य और लक्ष्य सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, सदन के पटल पर दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाना और सभी हितधारकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान-प्रदान है और इस प्रकार देश में कागज रहित विधानमंडल का सृजन करना है। यह सभी राज्य विधानमंडलों का डेटा एनालिटिक्स, सूचना प्रसंस्करण और डेटा का विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगा। अपने प्रमुख हितधारकों अर्थात राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान ई-विधान एमएमपी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।**

1.4 **ई-विधान एमएमपी ई-अवसंरचना का लाभ उठाने और उपयोग करने की परिकल्पना करता है जैसे कि नेशनल क्लाउड (मेघराज), नेटवर्क/वाईफाई प्रबंधन के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन)/नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (आईएनओसी) अवसंरचना आदि।**

1.5 **ई-विधान पहल भारत सरकार की "गो ग्रीन" पहल के अनुरूप है। इसका पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हर वर्ष हजारों टन कागज की बचत होगी और इस प्रकार लाखों पेड़ बचेंगे।**

1.6 **प्रस्ताव में संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में एक केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना और प्रत्येक राज्य विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू), माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में कंप्यूटर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, लोकल एरिया नेटवर्क/वाइड एरिया नेटवर्क अवसंरचना की स्थापना, सदस्यों के लिए ई-मेल/इंटरनेट सशक्तिकरण/ई-सुविधा केंद्र, कागज-पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभा पटल पर रखा जाना, राज्य विधानसभाओं/विधान परिषदों की सक्रिय वेबसाइट का निर्माण, रिपोर्टर शाखा, विधायी शाखा, संपादन शाखा, प्रश्न शाखा, समिति शाखा, पुस्तकालय संदर्भ सेवाओं, सदस्य सुविधाओं और सेवा शाखा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण शामिल हैं।**

1.7 **सभी सदनों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानकीकृत सामान्य नेवा विकसित किया जाएगा जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी/राज्य भाषा) होगा और नेलशनल क्लाउड - मेघराज पर मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में चलेगा। एप्लिकेशन को विधानमंडलों वाले विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।**

1.8 **इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, डिजिटल प्रारूप में पिछले रिकॉर्ड को संग्रहीत करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।**

1.9 सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, संबंधित सदन के सचिव के अधीन प्रत्येक स्थान पर एक नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल के सदस्यों और विधान सभा/ परिषद सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु, नेवा सेवा केंद्र (एनएसके) ई-लर्निंग सेंटर के रूप में भी काम करेगा।

2.मिशन

ई-विधान एमएमपी का मिशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कागज रहित विधायिका बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना तथा सूचना जैसे ही पैदा होती है उसे सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी चर्चा में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिभागिता हेतु अपने आप को तैयार करने हेतु नवीनतम आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने में सहायता करना भी है।

3. परियोजना के उद्देश्य

ई-विधान एमएमपी के उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- ✓ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह और वितरण सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ परस्पर संवाद करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण।
- ✓ निर्धारित सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) के द्वारा बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।
- ✓ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा सेवा केंद्र (ई-लर्निंग सेंटर) में राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।
- ✓ सदस्यों की सहायता के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना करना।
- ✓ नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्टिंग के लिए सामान्य, मल्टी-टेनेंसी नेवा का विकास।
- ✓ सभी हितधारकों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टलों और डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण।
- ✓ ई-लोकतंत्र लाने के अंतिम उद्देश्य के साथ नागरिकों को अधिक सूचित और सशक्त बनाना।

भाग-॥ – परियोजना की व्याप्ति और कार्यान्वयन की रीति

4. **परियोजना की व्याप्ति**

- . ई-विधान एमएमपी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत स्थापत्य की परिकल्पना करता है, जिसमें प्रत्येक चिह्नित सेवा के लिए एक ही एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्ट किया जाएगा। तकनीकी विशिष्टताओं और ई-शासन मानकों के पालन के माध्यम से राज्यों के विधानमंडलों के एकीकरण को सक्षम किया जाएगा।

- परियोजना के प्रमुख पहलू हैं बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) और पारस्परिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-शासन मानकों के अनुसार डेटाबेस का निर्माण। बीपीआर का अभिप्राय सदस्यों और नागरिकों के लिए प्रक्रिया सरलीकरण और महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन सक्षम करना है।

- नेवा का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने का है :

  - एक सामान्य नेवा का विकास करना।
  - साझा किए जा सकने योग्य डेटाबेस डिजाइन और विकसित करना जिसे राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को बेहतर और कुशल सेवाओं के लिए विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा साझा किया जा सके।
  - डिजिटल विधानमंडल: सदन में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना।
  - राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट उपकरण उपलब्ध कराना (यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया है/व्यवस्था नहीं की गई है)।
  - राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए एक वर्ष तक डाटा इंटरनेट कनेक्शन शूल्क की पूर्ति ई-विधान निधियों से की जाए।
  - प्रक्रिया को ई-सक्षम बनाने के लिए बीपीआर।
  - राज्य विधानमंडलों की सभी शाखाओं में आईसीटी अवसंचना उपलब्ध कराना।
  - राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए हाई स्पीड एल.ए.एन./डब्ल्यू.ए.एन. नेटवर्क, सुरक्षित वाई.फाई. नेटवर्क और अन्य नेटवर्क सेवा हेतु बैकअप सहित मजबूत नेटवर्क अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करना।
  - राज्य सरकार के सभी विभागों से समस्त सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया का मानकीकरण।
  - प्रत्येक राज्य विधानमंडल में नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा/ई-लर्निंग सेंटर) की स्थापना करना।
  - संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना करना।
  - प्रत्येक विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना करना।
  - ई-बुक फॉर्मेट में सदन के पटल पर सभी रिपोर्ट / दस्तावेज और कागज-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने जैसी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक परिदान हेतु सदन (सदनों) में आवश्यक हार्डवेयर / एक्सेस उपकरण तैनात करना।
  - राज्य के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए विधानमंडल सचिवालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक सूचना आदान-प्रदान हेतु मानक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना।

- सभी एप्लिकेशनों को प्रयोक्तानुकूल और उपकरण स्वतंत्र बनाना ताकि विभिन्न हितधारकों द्वारा उनके प्रयोग में वृद्धि हो सके।
- सभी राज्य विधानमंडलों के लिए मोबाइल अनुकूल पोर्टल (द्विभाषी) बनाना।
- सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा तुरंत उपयोग की जाने वाली जानकारी / डेटा तक पहुंच के उद्देश्य से उपयोग में आसान मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना।

क. ई-विधान एमएमपी के अंतर्गत स्वचालन के क्षेत्र –

नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगा जो सदन (सदनों) के कागज रहित कामकाज और सूचना के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक है। निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए जाएंगे:

1. डिजिटल विधानमंडल/कार्य सुविधा।
2. दैनिक कार्य संबंधी कागज-पत्र (कार्यसूची, समाचार, सारांश इत्यादि)
3. रिपोर्टरों द्वारा शब्दश: कार्यवाही तैयार किया जाना।
4. सभी प्रकार के प्रश्नों और नोटिसों का प्रस्तुतिकरण और प्रक्रमण।
5. सभी कागज-पत्रों और रिपोर्टों को सभा पटल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना।
6. प्रश्न शाखा, पटल कार्यालय, विधायी, संपादकीय और सारांश शाखा का कंप्यूटरीकरण।
7. विधेयक प्रबंधन प्रणाली।
8. समिति प्रबंधन प्रणाली।
9. आश्वासन प्रबंधन प्रणाली।
10. सदस्यों का पोर्टल।
11. सदस्यों की प्रसुविधाएं ।
12. वेब-कास्टिंग।

नेवा के बाद वाले / दूसरे चरण में स्वचालन के उपरोक्त क्षेत्रों के कार्यों में सुधार होगा और अन्य चीजों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता हैं:

1. डिजिटल अभिलेखागार
2. लाईब्रेरी स्वचालन
3. खरीद और स्टोर
4. ई-निर्वाचन क्षेत्र
5. शिकायत निवारण
6. किसी सदन की विशिष्ट आवश्यकता अनुसार कोई अन्य सुधार।

नेवा सदनों के डिजिटलीकरण और सूचना के आसान और उपकरण अज्ञेयवादी पहुंच के लिए माननीय सदस्यों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। इस प्रकार, नेवा में नीचे उल्लिखित संव्यवहार वाले क्षेत्र शामिल नहीं होंगे:

1. राज्य विधानसभाओं के सुरक्षा संचालन - किसी सुरक्षा संबंधी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेवाओं की खरीद ई-विधान एमएमपी के कोष से नहीं की जा सकती।
2. ई-विधान एमएमपी के लिए धन का उपयोग राज्य सरकार के विभागों की आईसीटी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है, इसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा निधि प्रदान की जानी है।
3. राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को उनके आवास पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-विधान एमएमपी निधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
4. ई-विधान एमएमपी की निधियों का उपयोग करके कोई भी भौतिक अवसंरचना परिसंपत्तियां जैसे भवन आदि का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
5. ई-विधान एमएमपी को नेशनल क्लाउंड - मेघराज पर डी.आर. साइट के साथ होस्ट किया जाएगा। केवल मिरर साइटें राज्य डेटा केंद्रों / स्थानीय डेटा केंद्रों में बनाई जाएंगी।
6. व्यय की कोई अन्य मद जो समय-समय पर प्रदान की जा सकती है।

5. विधानमंडल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

एक त्रिपक्षीय समझौते पर विधानमंडल, राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन का प्रारूप अनुबंध के रूप में संलग्न है।

6. परियोजना का कार्यान्वयन

नेवा की सफलता पूर्ण रूप से राज्य विधानमंडलों और राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर करेगी।

सभी राज्य विधानमंडलों को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अंतर (गैप) विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करनी है। (सीपीएमयू, नेवा द्वारा आदर्श नमूना साझा किया जाएगा)। दोहराव से बचने और गैप विश्लेषण रिपोर्ट का हिस्सा बनाने के लिए आईसीटी उपकरणों के मौजूदा कार्यात्मक सामान का उपयुक्त उपयोग किया जाना चाहिए।

परियोजना के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी:

i) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए धनराशि 90:10 के अनुपात में होगी।
ii) विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा धनराशि 100% होगी।
iii) अन्य सभी राज्यों के लिए निधियां 60:40 के अनुपात में होगी (यानी केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 40%)।

कहीं भी कुछ और उल्लिखित होने के बावजूद, केंद्र सरकार का हिस्सा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित स्वीकृत लागत तक सीमित और परियोजना के तहत जारी निधियों के समुचित उपयोग के अधीन होगा।

समय और लागत बढ़ने के कारण या अन्यथा होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्थायी कर्मचारियों को परियोजना से वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

परियोजना के पूरा होने पर, सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को इसमें इसके पश्चात निर्दिष्ट कार्यपालक प्राधिकारी को हस्तांतरित किया गया माना जाएगा।

इस परियोजना के तहत, मोबाइल ऐप सहित राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को लोक सभा, राज्य सभा, अन्य विधायी निकायों और हिमाचल प्रदेश के सफल अनुभव की सर्वोत्तम परंपराओं के आधार पर आवश्यक अनुकूलन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

6.1 उन सदनों के लिए जहां कुछ एप्लिकेशंस मौजूद हैं:

जहां भी सदनों के पास दिन-प्रतिदिन की विधायी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए कुछ डिजिटल एप्लिकेशंस मौजूद हैं, जो नेवा के साथ संगत नहीं हैं, संबंधित राज्य सरकारें उन्हें अपने जोखिम और लागत पर नेवा के अनुकूल बना सकती हैं ताकि नेवा के फायदों का पूरा उपयोग किया जा सके। इससे उन्हें अपने विरासत डेटा को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।

दिशा-निर्देशों के जारी किए जाने के पश्चात इस प्रकार किए गए किसी व्यय को राज्य का हिस्सा माना जाएगा। सदनों को नेवा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी मौजूदा प्रणाली के साथ समेकित रूप में एकीकृत किया जाएगा।

6.2 नेवा मोबाइल ऐप:

नेवा मोबाइल ऐप एंड्रॉएड और iOS प्लेटफार्म पर प्रत्येक सदन के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाएगी।

7. धनराशि (किश्तें) जारी करने के नियम और शर्तें:

1. पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर नेवा परियोजना और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।
2. दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
3. तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
4. चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

अथवा

5. उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

अथवा

6. जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं उन्हें एक किस्त में समस्त धनाशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

8. राज्य स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा, परियोजना निरूपण और एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति:

8.1 भूमिका और कार्य:

प्रत्येक सदन सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों और जनशक्ति की आवश्यकता की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और गैप विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई डीपीआर निर्धारित रीति का पालन न करते हुए सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

आईटी विभाग / राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंशदान, जनशक्ति सहायता, संचालन और रखरखाव और अतिरेक प्रबंधन आदि सहित सभी के संदर्भ में डीपीआर की जांच की जाएगी। राज्य स्तर पर एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति द्वारा परियोजना निरूपण और कार्यान्वयन सहित डीपीआर का संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण की सिफारिश सहित अनुमोदन किया जाएगा।

8.2 संरचना:

राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	सचिव (राज्य विधानमंडल)	-	अध्यक्ष
2.	सचिव (आईटी)	-	सदस्य
3.	सचिव (वित्त विभाग)	-	सदस्य
4.	सचिव (बजट - राज्य विधानमंडल का नोडल विभाग)	-	सदस्य
5.	सचिव, संसदीय कार्य विभाग	-	सदस्य
6.	राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	-	सदस्य
7.	प्रतिनिधि, एनआईसीएसआई, यदि राज्य स्तर पर उपलब्ध है	-	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव (राज्य विधानमंडल)	-	सदस्य सचिव
9.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रिती

टिप्पणी: विभागीय सचिवों अथवा उनके नामिति, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के नहीं होंगे, को उपरोक्त समिति में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति समय-समय पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- राज्य विधानमंडल की कार्य प्रक्रियाओं (बीपीआर) में अपेक्षित परिवर्तनों का अनुमोदन।
- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन हेतु यदि अपेक्षित हो तो, अधिनियम (अधिनियमों), नियमों और विनियमों में संशोधन।
- परियोजना पूरी होने के बाद उसे संभालने पर आईसीटी उपकरणों का रखरखाव और प्रतिस्थापन।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली प्रत्येक सेवा के संबंध में राज्य विधानमंडल सचिवालयों और राज्य सरकार के अन्य विभागों सहित प्रत्येक संस्था के अपने-अनले कार्य और दायित्व निर्धारित करना।
- ई-विधान एमएमपी सेवाएं चालू करने के लिए अपेक्षित सरकारी आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने का अनुमोदन।
- निधियां जारी किए जाने संबंधी सिफारिश।
- परियोजना की तकनीकी और वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा।
- यदि अपेक्षित हो तो अंतर विभागीय मामलों का समाधान करना।
- राज्य विधानमंडल में ई-विधान एमएमपी के त्वरित कार्यान्वयन हेतु समग्र मार्गदर्शन और निदेश।
- जागरूकता/मीडिया योजना (टैग लाइन, रेडियो जिंगल) / ऑडियो और वीडियो, टीवी स्पॉट्स - अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

9. केंद्रीय स्तर पर डीपीआर का अनुमोदन:

9.1 राज्य सरकार से विधिवत अनुशंसित डीपीआर की प्राप्ति के पश्चात, तकनीकी संवीक्षा और वित्तीय मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

9.2 डीपीआर की विभिन्न गैजेट्स और उपकरणों की तकनीकी विशेषताओं, उनकी पर्याप्तता, अधिकता इत्यादि सहित सभी प्रकार से तकनीकी संवीक्षा नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा की जाएगी और अपनी सिफारिशों सहित संसदीय कार्य मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

9.3 प्रस्तावों का वित्तीय मूल्यांकन संसदीय कार्य मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा समतुल्य प्रावधानों, नेवा दिशानिर्देशों के संदर्भ में खरीद विधियों के संदर्भ में किया जाएगा।

9.4 तकनीकी संवीक्षा और वित्तीय मूल्यांकन की रिपोर्ट के साथ मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन की डीपीआर के अनुमोदन का ज्ञापन नेवा की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

9.5 नेवा परियोजना अनुमोदन और अधिकार प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

1. सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	-	अध्यक्ष
2. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव या उनके नामिति	-	सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
4. महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	-	सदस्य
5. एमडी, एनआईसीएसआई	-	सदस्य
6. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्री के विधानमंडल का सचिव	-	सदस्य
7. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव (आईटी)	-	सदस्य
8. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	-	सदस्य सचिव
9. अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रितगण

10. राज्य सरकार को निधियां जारी करना

10.1 संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नेवा के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार (राज्य विधानमंडल के लिए बजट-लाइन नोडल विभाग) को निधियां जारी करेगा। विभाग कार्यपालक प्राधिकारी, नेवा को राज्य के हिस्से जितनी धनराशि सहित निधियां अंतरित करेगा।

10.2 राज्य सरकार परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अग्रिम धनराशि जारी कर सकती है जिसकी प्रतिपूर्ति संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार की जा सकती है।

11. कार्मिकों की तैनाती

राज्य के हिस्से के अंतर्गत प्रत्येक राज्य विधानमंडल में अपेक्षित कार्मिकों की तैनाती और अन्य अवसंरचना:

11.1 प्रत्येक राज्य विधानमंडल अनुलग्नक-क में दिए गए विवरण के अनुसार नेवा के कार्यान्वयन हेतु कार्य करने के लिए 20 या 30 तक, जैसा भी मामला हो, कार्मिक भाड़े पर ले सकता है। कार्मिकों को मौजूदा नियमों के अनुसार जेम (GeM) या एनआईसीएसआई या किसी अन्य अधिकृत तरीके से काम पर रखा जा सकता है।

11.2 इस प्रकार तैनात किए गए कुछ या सभी कार्मिक राज्य विधानमंडल के मौजूदा स्टाफ (गैर-तकनीकी स्टाफ सहित) में से भी हो सकते हैं। मौजूदा स्टाफ में से इस प्रकार नियोजित कार्मिकों के वेतन की अधिकतम सीमा रू.8 लाख प्रतिवर्ष प्रति कार्मिक है। चयनित तैनात कार्मिकों का वेतन राज्य की हिस्सेदारी में ही समायोजित किया जाएगा (36 मास की अवधि

के लिए)।

12. कार्यपालक प्राधिकारी

12.1 सचिव (राज्य विधानमंडल) संबंधित राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यपालक प्राधिकारी होंगे।

12.2 कार्यपालक प्राधिकारी राज्य स्तरीय राज्य परियोजना निगरानी ईकाई सह नेवा कार्यान्वयन समिति का अनुमोदन/अनुशंसा प्राप्त करने के बाद गैप विश्लेषण और डीपीआर तैयार करने और उसे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.3 निष्पादन प्राधिकारी उपयोग के प्रमाण पत्र और रसीद सहित वित्तीय निर्गमों के दावे प्रस्तुत करने और राज्य की निर्धारित हिस्सेदारी का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.4 निष्पादक प्राधिकारी नेवा सेवा केंद्र स्थापित करने और जनशक्ति की तैनाती इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।

12.5 निष्पादक प्राधिकारी नियमों के अनुसार निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए कम से कम तीन साल की वारंटी वाले हार्डवेयर, विभिन्न गैजेट्स और उपकरणों की खरीद के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें इन्वेंट्री प्रबंधन और रिकॉर्ड कीपिंग भी शामिल है। यदि कोई विशेष विक्रेता बिना किसी अतिरिक्त लागत के तीन या अधिक वर्षों (मान लो 5 साल) से अधिक की वारंटी प्रदान करता है, तब अन्य सभी चीजें समान होने के नाते, ऐसे विक्रेताओं से खरीद को प्राथमिकता दी जाए।

12.6 निष्पादक प्राधिकारी समय-समय पर संसदीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ कार्यान्वयन की गति और प्रगति सहित जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.7 निष्पादक प्राधिकारी राज्य सरकार/संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रूप में नेवा की भौतिक और वित्तीय प्रगति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12.8 निष्पादक प्राधिकारी परियोजना के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा।

भाग-III - संस्थागत तंत्र - परियोजना प्रबंधन और निगरानी

13. कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू)

13.1 परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की जाएगी।

13.2 केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) राष्ट्रीय रोलआउट के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और टेम्पलेट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी, जिसका निष्पादन संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य एनआईसी के सहयोग से किया जाएगा।

13.3 राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति, जिसकी संरचना पैरा 8.2 में दर्शाई गई है, अपने अपने राज्य विधानमंडल में कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय भी करेगी।

13.4 **राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति कार्यान्वयन के पश्चात भी सुचारू प्रचालन और अनुरक्षण हेतु भी जिम्मेदार होगी।**

13.5 **नेवा की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की संरचना निम्न प्रकार होगी:**

1.	**संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय**	-	**मिशन लीडर (अध्यक्ष)**
2.	**वित्तीय सलाहकार या उनका प्रतिनिधि**	-	**सदस्य**
3.	**महानिदेशक, एनआईसी या उनका प्रतिनिधि**	-	**सदस्य**
4.	**संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि**	-	**सदस्य**
5.	**प्रबंध निदेशक, एनआईसीएसआई या उनका प्रतिनिधि**	-	**सदस्य**
6.	**परियोजना लीडर, नेवा, एनआईसी**	-	**सदस्य**
7.	**परियोजना निदेशक, नेवा, एनआईसी**	-	**सदस्य सचिव**
8.	**अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति**	-	**विशेष आमंत्रिती**

13.6 **नेवा की सीपीएमयू समय-समय पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:**

- **परियोजना के काम की प्रगति का आकलन करने और नई दिशाओं/दृष्टिकोण पर परियोजना निष्पादन टीम को सलाह देने और इसकी सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूरे उपयोग हेतु देश में किसी भी अन्य राज्य विधानमंडल में चल रहे कार्य के साथ लिंक-अप सुनिश्चित करने के लिए।**
- **मंजूरियों में परिवर्तनों के संबंध में राज्य विधानमंडल के विशिष्ट अनुरोध की जांच करने और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचारण हेतु उस पर सिफारिश करने के लिए।**
- **एक सफल प्रतिरूप के लिए परियोजना के पूरा होने, सुविधाओं की स्थापना, इसके उपयोग और जानकारी हस्तांतरण आदि के बारे में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए।**
- **शामिल एजेंसियों द्वारा प्रदेय वस्तुओं या सेवाओं की समीक्षा और परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं या सेवाओं में संशोधन करने के लिए।**
- **ई-विधान एमएमपी और इसके फायदों के विस्तृत प्रचार हेतु, सीपीएमयू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए योजना बनाएगी।**
- **जागरूकता / मीडिया योजना (टैग लाइन, रेडियो जिंगल) / ऑडियो और वीडियो, टीवी स्पॉट्स – अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा।**
- **सक्षम प्राधिकारी अर्थात सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।**

13.7 ई-शासन और सामान्य प्रयोजन हेतु उच्च स्तरीय सर्वोच्च समिति:

नेवा परियोजना और राज्य में अन्य ई-शासन संबंधी मामलों की निगरानी करने के लिए माननीय अध्यक्ष/सभापति की अध्यक्षता में राज्य विधानमंडलों के माननीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च समिति गठित की जाए।

सदन की नेवा संबंधी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	**माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति**	-	**अध्यक्ष**
2.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 1	-	**सदस्य**
3.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 2	-	**सदस्य**
4.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 3	-	**सदस्य**
5.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 4	-	**सदस्य**
6.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 5	-	**सदस्य**
7.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 6	-	**सदस्य**
8.	**सदस्य राज्य विधानमंडल** – 7	-	**सदस्य**

9. **प्रभारी सचिव (ई-शासन/आईटी)** - **सदस्य**
10. **सचिव, राज्य विधानमंडल** - **सदस्य सचिव**

समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्न प्रकार हैं:

- **राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।**
- **राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन हेतु, यदि अपेक्षित हो तो, प्रक्रिया नियमों में परिवर्तनों की सिफारिश करना।**
- **नेवा का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को स्थानांतरित करने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को पेश आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और सुझाव देना।**
- **राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, राज्य विधानमंडलों और राज्य सरकार के विभागों के कार्मिकों के लिए नेवा पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना।**
- **जागरूकता पैदा करना और मीडिया प्लान।**

13.8 क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण

13.8.1 क्षेत्रीय कार्यशालाएं:

संबंधित राज्य विधानमंडल के सचिव के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं की व्यवस्था उस क्षेत्र के राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए की जाएगी। निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा:

1. उत्तरी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड) – कार्यशाला का संचालन दिल्ली/चंडीगढ़ या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

2. पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखंड) – कार्यशाला का संचालन कोलकाता/भुवनेश्वर या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

3. पश्चिमी क्षेत्र (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा) – कार्यशाला का संचालन मुम्बई या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

4. दक्षिणी क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी) – कार्यशाला का संचालन हैदराबाद/बेंगलूरू या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा) – कार्यशाला का संचालन गुवाहाटी/शिलांग या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

<u>अथवा</u>

6. विकल्पत: कार्यशालाओं की व्यवस्था एक या दो विधानमंडलों के लिए उनके अपने स्थानों पर भी की जा सकती है।

13.8.2 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण:

क्षमता निर्माण की पहल से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों, विधानमंडल सचिवालय और नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में प्रतिभागिता करने वाले राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

संबंधित एस.पी.एम.यू. के परामर्श से सी.पी.एम.यू. द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

- प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में क्षमता का आकलन करना, प्रत्येक भूमिका के लिए आवश्यक कौशल सेट;
- क्षमता निर्माण अवसंरचना और कौशल में अंतर का आकलन करना;
- क्षमता निर्माण के लिए सुनियोजित, स्थायी और एकीकृत रणनीति विकसित करना;
- प्रयोगकताओं के प्रत्येक स्तर के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करना;
- प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण के लिए पाठ्यक्रम (रूपरेखा), अवधि, प्रवेश और निकास मानदंडों के संदर्भ में प्रशिक्षण योजना को परिभाषित करना, प्रशिक्षण के प्रत्येक घटक के लिए प्रशिक्षण मॉडल (प्रशिक्षक

आधारित, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी), उपयोगकर्ता नियम पुस्तक आदि);

- ❖ निगरानी के लिए प्रत्येक भूमिका और रूपरेखा के लिए प्रदर्शन के उपायों को परिभाषित करना;
- ❖ परिवर्तन प्रबंधन रणनीति को डिजाइन करना;
- ❖ संचार और जागरूकता रणनीति को डिजाइन करना।

13.9 नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा सह ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना:

राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को अभिविन्यास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य विधानमंडल में एक नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा सह ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

13.10 दृश्य श्रव्य उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री

अत्याधुनिक नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा सह ई-सुविधा केंद्र) में सभी आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षण सहायक उपकरण और साथ ही दूरस्थ शिक्षा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। ई-विधान एमएमपी पर प्रशिक्षण के लिए ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। प्रशिक्षण सामग्री सीपीएमयू द्वारा अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित की जाएगी।

13.11 सीपीएमयू में कृत्रिम विधानसभा की स्थापना

सभी राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों के लिए नेवा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने और भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए नेवा का प्रदर्शन करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके एक कृत्रिम राज्य ई-विधानमंडल स्थापित करने का प्रस्ताव है। सीपीएमयू, नेवा राज्य विधानमंडल के स्थानों पर भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था और आयोजन करेगी।

13.12 ई-विधान हेतु हार्डवेयर, साफ्टवेयर और सेवाओं के प्रापण की प्रक्रिया

राज्य विधानमंडलों के सचिव कार्यपालक प्राधिकारी होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के नोडल विभाग को निधियां जारी करेगा और नोडल विभाग निधियों को कार्यपालक प्राधिकारी को राज्य की हिस्सेदारी सहित अंतरित करेगा।

सुचारू कार्यान्वयन हेतु, राज्य सरकार परियोजना में तेजी लाने के लिए अपनी हिस्सेदारी सहित अग्रिम रूप में निधियां जारी कर सकती है और प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है।

परियोजना के अनुमोदित हो जाने और वित्तीय/तकनीकी मंजूरी मिल जाने के पश्चात कार्यपालक प्राधिकारी खुली निविदा आमंत्रित करेगा। सभी प्रकार की खरीद हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निविदा देने की सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), 2017 और समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों के तहत शामिल प्रक्रियाओं के अनुरूप होगी।

सभी निविदा सूचनाओं का नेवा राष्ट्रीय पोर्टल सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार किया जाएगा।

वे सभी मदें/सेवाएं जो जेम प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं उसके माध्यम से ही खरीदी जाएं।

तथापि, यदि राज्य सरकार/राज्य विधानमंडल चाहें तो खरीद के लिए अपने खुद के स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का

पालन कर सकते हैं।

यदि कार्य या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो राज्य/केंद्र स्तरीय समितियों का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

13.13 लेखापरीक्षा और मूल्यांकन

नेवा परियोजना की राज्य/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। परियोजना सीपीएमयू द्वारा मध्य अवधि समीक्षा और अंत अवधि मूल्यांकन के अधीन भी होगी।

13.14 सावधि विधि खंड (सनसेट क्लाज)

नेवा की इसके शुरू होने की तारीख से 36 मास की अवधि के लिए सहायता की जाएगी। परियोजना को परिभाषित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। तीन वर्ष की अवधि के पश्चात, परियोजना के तहत राज्य विधानमंडल में सृजित नेवा अवसंरचना हार्डवेयर सहित उनके स्वामित्व में आ जाएगी और वे अपने खुद के संसाधनों से उसके रखरखाव/प्रतिस्थापन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार केवल सीपीएमयू के माध्यम से नेवा के रखरखाव/उन्यन, एनआईसी की क्लाउड होस्टिंग सेवाओं, प्रचार और क्षमता निर्माण संबंधी जरूरतों की लागत वहन करेगी।

13.15 समस्या को दूर करना

दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी अनुदेशों सहित नेवा के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा करना संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

भाग IV– ई-विधान एमएमपी के लिए एनआईसी/एनआईसीएसआई की भूमिका

14. ई-विधान एमएमपी के लिए एनआईसी की भूमिका

एनआईसी ई-विधान एमएमपी के लिए तकनीकी साझेदार होगा। ई-विधान एमएमपी के लिए तकनीकी सहायता एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता मौजूद है और वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर चुका है।

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का विकास

   एनआईसी हिमाचल प्रदेश ई-विधान परियोजना के आधार पर नेवा के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रयोजन के लिए एनआईसी एक नेवा परियोजना दल का गठन करेगा।

2. राज्य स्तर पर नेवा का कार्यान्वयन और सहायता सेवाएं

   प्रत्येक राज्य के स्तर पर राज्य सूचना अधिकारी (एसआईओ) की अध्यक्षता में एक नेवा कार्यान्वयन और सहायता सेवा समिति का गठन किया जाए जो समस्त तकनीकी सहायता सेवा और राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करेगी। एनआईसी के राज्य केंद्र के एक अधिकारी को नेवा के कार्यान्वयन की सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

3. नेवा क्लाउड होस्टिंग और डीआर साइट

सभी राज्यों के लिए नेवा को नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्ट किया जाएगा और एनआईसी होस्टिंग सेवाओं के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा लाइव डीआर साइट का रखरखाव किसी अन्य एनआईसी डेटा सेंटर पर किया जाएगा। ई-विधान एमएमपी के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनपावर और क्लाउड होस्टिंग सेवाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

4. राज्य स्तर पर नेवा होस्टिंग

राज्य / राज्य डेटा केंद्र / स्थानीय डेटा केंद्र पर एनआईसी डेटा केंद्र में नेवा होस्टिंग के लिए सहायता, संबंधित राज्य एनआईसी केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। इस तरह की स्थानीय होस्टिंग इसे पूर्ण प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय क्लाउड होस्टिंग का दर्पण होगी।

5. हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी

एनआईसी देश के सभी राज्य विधानमंडलों के स्थानों पर सुचारू और बिना रूकावट नेवा संचालन के लिए हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी के लिए निधियां ई-विधान एमएमपी निधि के तहत प्रदान की जाएंगी।

6. वेब कास्टिंग सेवाएं (वैकल्पिक)

सदन के नियमों के अधीन रहते हुए और पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सदन की कार्यवाही की वेब कास्टिंग का प्रावधान करने के लिए, एनआईसी राज्य विधानमंडल में वेब कास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगा और राज्य विधानमंडल के स्थानों से बिना रुकावट वेबकास्ट सुनिश्चित करेगा। विषय-वस्तु वितरण नेटवर्क (सीडीएन) का उपयोग सदन की कार्यवाही की वेबकास्टिंग के लिए किया जा सकता है। वेबकास्टिंग बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सभी आवश्यक धनराशि ई-विधान एमएमपी निधि के तहत प्रदान की जाएगी।

7. नेवा का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

संसदीय कार्य मंत्रालय के पास एनआईसी के माध्यम से निरंतरता में नेवा का अनन्य गैर-परम्परागत बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) होगा।

15. ई-विधान एमएमपी के लिए एनआईसीएसआई की भूमिका

1. एनआईसीएसआई, नेवा के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है।
2. एनआईसीएसआई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक राज्य विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जनशक्ति सहित विभिन्न वस्तुओं की खरीद करेगा और इसके लिए विक्रेताओं को पैनल में शामिल करेगा।
3. एनआईसीएसआई नेवा के सफल कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई समन्वयक के रूप में नई दिल्ली में एक विशेष अधिकारी (डीजीएम या उससे ऊपर) नामित करेगा।
4. एनआईसी के सभी राज्य समन्वयक विधिवत सत्यापन के पश्चात बिलों को, यदि कोई हो, अपने-अपने कार्यपालक प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे।

16. एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से खरीद और सेवाओं के लिए निधिकरण

यदि एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सेवाओं इत्यादि की खरीद की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ऐसी समस्त खरीद के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-विधान एमएमपी से सीधे धनराशि प्रदान की जाएगी।

नेवा एक नजर में:

1. **साफ्टवेयर**

   क. एक कोर एप्लिकेशन के रूप में नेवा को एनआईसी/एनआईसीएसआई की सहायता से सीपीएमयू द्वारा विकसित किया जाएगा।

   ख. कोर एप्लिकेशन के विकास, ई-लर्निंग सामग्री, जरूरी अतिरिक्त साफ्टवेयर (ए.एस.)/ऑपरेटिंग प्रणाली (ओ.एस.)/प्रचालन और अनुरक्षण (ओ.एण्ड एम.) के लिए सीपीएमयू।

   ग. नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

2. **हार्डवेयर**

   क. सीपीएमयू के लिए ए.एस./ओ.एस. और कंप्यूटरों सहित क्लाउड होस्टिंग हेतु हार्डवेयर की खरीद संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

   ख. राज्य विधानमंडलों के लिए ए.एस./ओ.एस./ओ.एण्ड एम. सहित हार्डवेयर की खरीद राज्य के कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

   ग. सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए जरूरी ए.एस./ओ.एस. सहित टच इनेबल्ड उपकरण।

   घ. नेवा सेवा केंद्र (ई-लर्निंग सह ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना।

   ङ. राज्य विधानमंडल द्वारा एसपीएमयू की स्थापना।

   च. राज्य विधानमंडल में वेबकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (वैकल्पिक)।

   छ. राज्य विधानमंडल/एसपीएमयू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

   ज. राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (यदि अपेक्षित हो)

   झ. सीपीएमयू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

3. **क्षमता निर्माण**

   क. सीपीएमयू, नेवा द्वारा ई-सुविधा केंद्र सहित नेवा के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा रखे गए स्टाफ का क्षमता निर्माण।

   ख. सीपीएमयू द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों हेतु सराहना कार्यक्रम।

   ग. सीपीएमयू द्वारा नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

   घ. सीपीएमयू/एसपीएमयू द्वारा एक्सपोजर दौरा और केएमएस/डिजिटल लाईब्रेरी।

4. **निधिकरण**

   क. संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य की यथा निर्धारित हिस्सेदारी सहित केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के नमूने पर।

   ख. दिशा-निर्देश प्रक्रियाएं इत्यादि।

5. **सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.)**

   क. सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) सामग्री (विषय-वस्तु और प्रसार) के विकास के लिए सहयोगी

एनएफडीसी / राज्य सभा टीवी और लोक सभा टीवी।

ख. कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/एक्सपोजर दौरे।

ग. मीडिया।

6. जनशक्ति

सीपीएमयू के लिए – संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एनआईसीएसआई/जेम के माध्यम से और एसपीएमयू के लिए राज्य सरकार आईटी परियोजनाओं हेतु भाड़े पर लेने की अपनी स्थापित प्रक्रिया को अपना सकते हैं।

नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण जहां सदस्य संख्या <=100(22 **राज्य विधानमंडलों के लिए**)

क्र.सं.	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**संख्या**	**प्रतिमाह दर +जीएसटी**	**प्रतिमाह लागत**	**प्रतिवर्ष लागत**	**3 वर्षों की लागत**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	**वेब प्रशासक**	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
2	**डेटाबेस व्यवस्थापक**	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
3	**वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर**	3	45000	1,59,300	19,11,600	5734800
4	**संचालन प्रबंधक**	1	45000	53,100	6,37,200	1911600
5	**संचालन सहायक**	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
6	**नेटवर्क संचालन पेशेवर**	2	25000	59,000	7,08,000	2124000
7	**तकनीकी प्रशिक्षक**	2	50000	1,18,000	14,16,000	4248000
8	**तकनीकी सहायता पेशेवर**	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
	कुल	20	325000	861400	1,03,36,800	31010400
						Approx 3.10 Crore

नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण जहां सदस्य संख्या >100(15 **राज्य विधानमंडलों के लिए**)

क्र.सं.	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**संख्या**	**प्रतिमाह दर +जीएसटी**	**प्रतिमाह लागत**	**प्रतिवर्ष लागत**	**3 वर्षों की लागत**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	**वेब प्रशासक**	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
2	**डेटाबेस व्यवस्थापक**	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
3	**वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर**	6	45000	3,18,600	38,23,200	11469600
4	**संचालन प्रबंधक**	1	45000	53,100	6,37,200	1911600
5	**संचालन सहायक**	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
6	**नेटवर्क संचालन पेशेवर**	5	25000	1,47,500	17,70,000	5310000
7	**तकनीकी प्रशिक्षक**	3	50000	1,77,000	21,24,000	6372000
8	**तकनीकी सहायता पेशेवर**	8	30000	2,83,200	33,98,400	10195200
	कुल	30	325000	1274400	1,52,92,800	45878400
						लगभग 4.59 **करोड़**

एसपीएमयू द्वारा नेवा परियोजना के लिए भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव :-

क्र.सं.	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**न्यूनतम योग्यता**	**न्यूनतम अनुभव (वर्षों में)**
1.	**वेब प्रशासक**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	6
2.	**डेटाबेस व्यवस्थापक**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	6
3.	**वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	5
4.	**संचालन प्रबंधक**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	5
5.	**संचालन सहायक**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	3
6.	**नेटवर्क संचालन पेशेवर**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	2
7.	**तकनीकी प्रशिक्षक**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	6
8.	**तकनीकी सहायता पेशेवर**	**बी.टैक./एम.सी.ए.**	3